फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना शमसाबाद

दिनांक - 30.07.2026

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 139/2026 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2026 धारा 105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र स्व0 दुलारे लाल निवासी खुडिना वैध थाना शसमाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01.पंकज पुत्र स्व0 दुलारे लाल निवासी खुडिना वैध थाना शसमाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरणः- वादी शिवम पुत्र स्व0 दुलारे लाल निवासी ग्राम खुडिना वैध थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 30.07.2026 को थाना शमसाबाद पर तहरीर बाबत वादी के भाई पंकज ने माता नन्ही देवी से किसी बात को लेकर कहासुनी व मारपीट कर देना जिससे माता जी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दी गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0 139/2026 धारा 105 बीएनएस बनाम अभियुक्त पंकज पुत्र स्व0 दुलारे लाल निवासी खुडिना वैध थाना शसमाबाद जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पंकज उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त पंकज ने पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा कोई भी गलत काम नही किया गया है। जो भी किया है कलकत्ता वाली काली मां ने आकर किया है। सबका मालिक एक है। ईश्वर सच का साथ देता है।

अभियुक्त पकंज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 139/2026 धारा 105 बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. एसओ श्री सचिन सिंह चौधरी
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार
3. का0 अजय कुमार
4. का0 शुभम

मीडिया सेल फतेहगढ़।